राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

क्रमांकः आईपीआई/एमएण्डसी/2016/318
दिनांकः– 11 अप्रैल, 2016

कार्यालय आदेश

विषय– पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में ।

निगम द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि की अवाप्ति/आवंटन के पश्चात भूमि का सर्वे कर औद्योगिक क्षेत्र का ले–आउट तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदित किये जाते हैं। तत्पश्चात भूमि का मौके पर सीमांकन कर विकास कार्य प्रारम्भ करवाए जाते हैं। विगत कई वर्षो में यह पाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त/आवंटित भूमि का मौके पर भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है, जिससे निगम के लेखों में दर्शायी गयी भूमि एवं मौके पर निगम के वास्तविक कब्जे में स्थित भूमि से सम्बन्धित आँकडों में अन्तर पाया जाता है। इस संबंध में राजकीय उपकम समिति द्वारा समय समय पर भूमि के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। निगम प्रबंधन द्वारा भी समय समय पर भूमि के भौतिक सत्यापन करवाये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है । निगम प्रबंधन द्वारा भूमि के भौतिक सत्यापन नहीं कराने को गंभीरता से लिया गया है। अतः भूमि के भौतिक सत्यापन के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. निगम द्वारा अवाप्त/आवंटित तथा उक्त क्षेत्र के अनुमोदित ले–आउट के अनुसार भूमि का विवरण संकलित कर मुख्यालय भिजवायी जायेगी।

2. निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के अनुमोदित ले–आउट के अनुसार ऐसी भूमि जिन पर अतिकमण होने का अंदेशा है, उनका भौतिक सत्यापन करवाए जाने के पश्चात सीमांकन एवं डिमार्केशन पिलर्स मौके पर लगवाने सुनिश्चित किये जायेंगे।

3. वर्तमान में लेखों में दर्शायी गयी अनावंटित विक्रय योग्य भूमि का मौके पर भौतिक सत्यापन कर इस भूमि का भी डिमार्केशन करवाया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कर अनुपालना रिपोर्ट 3 माह में संलग्न प्रपत्र में मुख्यालय को सभी इकाई प्रभारियों द्वारा भिजवायी जायेगी एवं विफल रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
सलाहकार(इन्फा)

प्रपत्र

औद्योगिक क्षेत्रों हेतु अवाप्त/आवंटित भूमि एवं अनावंटित विक्रय योग्य भूमि का विवरण

क्षेत्रफल (एकड में)

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अवाप्त/आवंटित भूमि का विवरण				अनावंटित विक्रय योग्य भूमि का विवरण			
		लेखों के अनुसार कुल भूमि	अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार कुल भूमि	भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर (3-4)	उक्त अन्तर के कारण	लेखों के अनुसार कुल भूमि	भौतिक रूप से मौके के अनुसार उपलब्ध भूमि	भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर (7-8)	उक्त अन्तर के प्रमुख कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10